मंत्री शांति धारीवाल की सीट पर रोहित बोहरा को बैठा देख भड़के राजेन्द्र राठौड़

उपनेता प्रतिपक्ष ने बोहरा से कहा कि ''आप साधारण विधायक है, फिर आप मंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठे हैं, ऐसे तो मैं भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, इस सदन की कोई गरिमा है या नहीं?''

जयपुर (विसं)। विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल की सीट पर विधायक रोहित बोहरा को बैठा देखकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ उन पर भड़क उठे। राठौड़ ने कहा कि आप एक साधारण विधायक है, फिर आप मंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठे हैं, ऐसे तो मैं भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, आखिर इस सदन की कोई गरिमा है या नहीं?

यह नाराजगी उस वक्त सामने आई जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सदन में कैबिनेट के किसी भी मंत्री के बहस के दौरान मौजूद नहीं होने पर सवाल खड़े कर दिये। उनके साथ राठौड़ ने भी खड़े होकर कहा कि इस बात से सरकार की गंभीरता का पता चलता है कि न कोई कैबिनेट मंत्री नोट करने के लिए मौजूद है न ही कोई अधिकारी विधायकों की बात को नोट कर रहा है। जब यह बहस चल रही थी उस समय राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा मंत्री शांति धारीवाल की सीट पर बैठे थे, जिन्होंने कागज ऊपर करते हुए कहा कि मैं सारी बातें नोट कर रहा हूं। इस पर राजेंद्र राठौड़ और ज्यादा नाराज हो गए और बोले कि ''आप एक साधारण विधायक हैं, आप मंत्री की कुर्सी पर बैठे कैसे हैं। ऐसे तो मैं भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, क्या सदन की भी कोई गरिमा है या नहीं?'' राजेंद्र राठौड़ इस कदर रोहित बोहरा पर नाराज हुए कि उन्होंने सभापति से यहां तक कह दिया कि इन्हें अपनी सीट पर भेजा जाए, नहीं तो मैं इसके खिलाफ सदन में धरना दूंगा। इस पर सभापति ने रोहित बोहरा को अपनी सीट पर जाने को कहा, तो वे तुरन्त चले गए। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ।

- **इससे पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सदन में अनुपस्थित कैबिनेट मंत्रियों पर सवाल उठाये**

'आपने बिल्डरों को फायदा पहुंचाया'

संयम लोढ़ा ने धारीवाल से कहा कि ''आपके तुलगकी आदेशों से व्यवस्था तहस-नहस, सरकार बदनाम होगी''

जयपुर (विसं)। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने बुधवार को यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान मंत्री शांति धारीवाल को जमकर घेरा और उन पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा दिया। साथ ही कहा कि जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, वह राजस्थान में सब लोगों को पता है। धारीवाल को आड़े हाथ लेते हुए संयम लोढ़ा ने आगे कहा कि ''आपके तुगलकी आदेशों से सारी व्यवस्थाएं तहस-नहस हो रही है, इससे पूरी सरकार बदनाम होगी, मैं आपको आगाह कर देता हूं।'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनआवास योजना लाई गई थी ताकि गरीबों को घर मिले। जिस रूप में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए आप श्री सी का प्रावधान लेकर आए हैं, इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान की जैसी दुर्गति हमारी आबूरोड़ नगरपालिका में हुई वैसी कहीं भी नहीं हुई। ईओ को हटाया, फिर लगाया और जिसे हटाया, वह कोर्ट से स्टे ले आया। यह नमूना है। ये अगले सीएम के मंत्री होंगे, लेकिन हमारे यहां नगरपालिका में दो महीने से जेईएन का पद खाली चल रहा है। हमारे जैसे छोटे जिले पर भी कृपा रखें।

हंसा मीणा के ट्रांसफर व कार्यमुक्त करने पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर। हाईकोर्ट ने हैरिटेज नगर निगम के किशनपोल जोन की उपायुक्त हंसा मीणा के दो तबादला आदेशों सहित गत 11 मार्च के मौजूदा जगह से कार्यमुक्त करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।

अदालत ने निगम आयुक्त अवधेश मीणा, डीएलबी निदेशक व स्वायत्त शासन सचिव से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश हंसा मीणा की याचिका पर दिए। अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के बाद अधिशासी अधिकारी, द्वितीय बनाया और नवंबर 2021 में उन्हें किशनपोल जोन उपायुक्त के पद पर लगाया गया, लेकिन तभी आयुक्त अवधेश मीणा से टकराव होने के चलते उन्हें 4 फरवरी के आदेश से स्टोर प्रभारी पद पर लगा दिया। इस आदेश को चुनौती देने पर रेट ने नए पदस्थापन आदेश पर रोक लगा दी। जब याचिकाकर्ता ने 2 मार्च को उपायुक्त पद का कार्यभार संभाला तो आयुक्त ने पुनः नए आदेश जारी कर उसका राजस्व अधिकारी के पद पर तबादला कर दिया। जिसे याचिकाकर्ता ने यह करते हुए मानने से इंकार कर दिया कि राजस्व अधिकारी का पद तकनीकी है और तबादला आदेश वास्तव में पदावनति के समान है। इसके बाद राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को दौसा नगर परिषद में सचिव लगा दिया।

खोया पाया

मेरे मकान नं. 2-ढ-14हाऊसिंग बोर्ड शास्त्री नगर के आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, Declaration मेरे घर शास्त्री नगर से नाहरी का नाका के बीच गिर गये। मिलने पर सूचित करें। मो. 9509908369 पार्वति देवी

बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड के रेपो क्रिट नं. GSPEC511876, GSPEC511877, GSPEC511878, GSPEC511879, GSPEC513023, ये जो कि मानसरोवर क्षेत्र में गिर गई है। मिलने पर सूचित करें। DEV FINANCIAL SERVICES 7230046692 दिपांशु सैनी

मेरे भूखंड संख्या एस-269 योजना शिव विहार अपोजिट रोड नं. 5 सेन कॉलोनी का मूल इकरारनामा गुम हो गया है जो कि विमला देवी और सुशीला जैन के बीच था। मिलने पर संपर्क करें। नाम सुशीला जैन-मो. 9829146900

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री दिनेश खींची के पिताजी श्री रामलाल खींची पुत्र स्व. श्री भूराराम खींची निवासी 508, मण्डी खटीकान, दुर्बलनाथ जी की बगीची के पीछे, जयपुर परिवारजनों के कहने सुनने में नहीं है एवं गैर जिम्मेदार कार्य करते है। अतः कोई भी व्यक्ति, संस्था मेरे अभिभाष्य के पिताजी से किसी प्रकार का कोई भी लेने देन करेगा तो उसके लिये मेरे अभिभाष्य, उनके भाईयों एवं परिवारजनों का किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
ओम प्रकाश शर्मा, एडवोकेट, मो.9414336177

आम सूचना हथरोई गढ़ी ग्रह निर्माण स.स. लि. की स्किम बाल विहार में प्लाट नं. 8 क्षेत्रफल 302.22 वर्गगज श्रीमती सावली मीना पत्नि स्व. गिरधर पटेल के नाम आवंटीत है। इनकी मृत्यु उपरान्त उक्त प्लाट छोटे पुत्र सुगन लाल मीना पुत्र स्व. गिरधर लाल पटेल के नाम हस्तान्तरण जारी वसीयत आवंटन किया जा रहा है। किसी को आपत्ति हो तो 7 दिन में सूचित करें। ग्राम पोस्ट खेडला तह. टोडाभीम जिला करौली राज. मो. 9549490000

सा.विज्ञप्ति नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्र:एफ-13, उप.आयोजना/जननि/2020/1022 दि. 16.03.22
विषय- राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति। नगर निगम जयपुर में निम्न वर्णित भूखण्ड धारक ने कॉलम 4 में वर्णित मास्टर विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन) में निर्धारित भू-उपयोग का कॉलम 5 में वर्णित भू-उपयोग हेतु आवेदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र. स.	आवेदक का नाम भूखण्ड संख्या योजना का नाम	भूखण्ड का क्षेत्र व उपयोग	मास्टर प्लान (2025)अनुसार भू-उपयोग	आवे. द्वारा चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1	अजुर ट्री प्रापर्टी वेन्चर्स प्रा.लि. भू.सं. ए-6, खसरा नम्बर 142, ग्राम-बस्सी,सीतारामपुरा,जयपुर	35380 व.ग. (औद्योगिक)	स्पेशल एरिया	आवासीय

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव होतो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति/सुझाव कारणों सहित नगर निगम जयपुर के आयोजना शाखा में प्रस्तुत कर सकते है।
यज्ञ मित्र सिंह देव (IAS) आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड -भिवाडी
क्रमांक-2142 दिनांक-16.03.2022
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 2/10 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी श्रीमति रजनी भण्डारी को आवंटन पत्रांक 4316 दिनांक 22.11.1988 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास को बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा अन्तिम क्रेता श्री रामकिशोर सिंघला के पक्ष में नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र संख्या 5315 दिनांक 30.03.2000 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 31.03.2000 को उप पंजीयक टपूकड़ा में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री रामकिशोर सिंघला की मृत्यु दिनांक 07.12.2017 को हो चुकी है। श्री शैलेश भारती सिंघल ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री रामकिशोर सिंघला की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि श्री रामकिशोर सिंघला का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2017 को हो जाने के कारण उपरोक्त आवास संख्या 2/10 पुरानी कालोनी, भिवाडी जिला अलवर का पंजीकृत हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण उनके नाम किया जाये। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 2/10 पुरानी कालोनी, भिवाडी के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियां, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री शैलेश भारती सिंघल पुत्र स्व. श्री रामकिशोर सिंघला के पक्ष में उपरोक्त आवास संख्या 2/10 उच्च आय वर्ग भिवाडी जिला अलवर का पंजीकृत हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
(पी.एल.मीणा) आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड -भिवाडी
क्रमांक-2096 दिनांक-10.03.2022
आवश्यक सूचना हर आम एवं खास को इस पंजीकरण वर्ष 2006 में हित रखने वाले व्यक्ति विशेष को सूचित किया जाता हैकि मूल आवंटी श्री रणजीत सिंह ने राशि 60000/- रुपये जमा करवाकर उच्च आय वर्ग में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया गया था।जिन्हे आवास संख्या 5/124 अरावली विहार, भिवाडी में आवंटन पत्रांक 1827 दिनांक 10.09.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। श्री रणजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 30.12.2018 को हो चुकी है। श्रीमती मनोरमा शेखावत ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री रणजीत सिंह की मृत्यु का प्रमाण पत्र, अन्य वारिसानों का घोषणा पत्र एवं नोटेरी से पंजीकृत वसीयत प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि उनके पिता का स्वर्गवास दिनांक 30.12.2018 को हो जाने के कारण उपरोक्त मकान संख्या 5/124 अरावली, विहार, भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु नाम हस्तांतरण उनके नाम किया जाये। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 5/124 अरावली विहार, भिवाडी के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियां, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती मनोरमा शेखावत पत्नी श्री अनिल शेखावत के पक्ष में नोटेरी से पंजीकृत वसीयत के आधार पर उपरोक्त मकान संख्या 5/124 अरावली विहार, भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी

डॉ. ओमप्रकाश को विदाई दी

जयपुर (कासं)। कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश का गृह राज्य में पांच साल का डेपुटेशन समाप्त होने पर बुधवार को यहां पंत कृषि भवन में समारोहपूर्वक विदाई दी। मंत्री लालचन्द कटारिया एवं कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने डॉ. ओमप्रकाश को साफा पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया।

मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि डॉ. ओमप्रकाश ने कृषि आयुक्त के रूप में करीब पौने 3 साल सराहनीय सेवाएं दी। इनकी प्रभावी कार्यप्रणाली की वजह से किसानों को समय पर फसल बीमा योजना का क्लेम देने, टिड्डी का सफलतापूर्वक प्रबंधन, कोविड काल में लाखों घंटे फ्री रेंटल ट्रेक्टर सेवा, खाद-बीज का बेहतर प्रबंधन और राज किसान साथी पोर्टल से विभिन्न अनुदानित योजनाओं का काश्तकारों को त्वरित लाभ पहुंचाने में सफल हो सके। इस अवसर पर उद्यानिकी विभाग के आयुक्त मेघराज सिंह रत्नू, बीज निगम के प्रबंध निदेशक जसवंत सिंह, कृषि विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. एसपी सिंह एवं कृषि मंत्री के विशिष्ट सहायक विभू कौशिक सहित विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

निलंबित जज गुलिया सहित तीन को मिली जमानत

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 साल के किशोर को बहला-फुसलाकर उसके साथ कुकर्म करने के आरोपी निलंबित एडीजे जितेन्द्र गुलिया और दो अन्य आरोपियों राहुल व अंशुल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश तीनों आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। आरोपी जितेंद्र गुलिया की ओर से कहा गया कि स्कूटी के पैसे बंद करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसे मामले में गिरफ्तार किए करीब पांच महीने हो चुके हैं। इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। जिसकी ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं अन्य आरोपी राहुल व अंशुल ने भी आरोप पत्र पेश होने के आधार पर जमानत मांगी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ा-बहुत उतार चढ़ाव जारी

राज्य में बुधवार को 70 नए संक्रमित मिले, जबकि मंगलवार को 67 रोगी पाए गए थे

जयपुर (कासं)। प्रदेश में करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इसके चलते बुधवार को राज्य के 18 जिलों में 70 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 15 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इस बीच करोना से एक मरीज की मौत हुई है।

प्रदेश में बुधवार को मामूली वृद्धि के बाद 70 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 67 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में नए संक्रमितों में कुछ कमी आई है। इस दौरान जिले में 20 नए मरीज पाए मिले हैं। इसके अलावा राजसमंद में 9, जोधपुर में 8, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में 5-5, गंगानगर में 4, अलवर, चूरू, उदयपुर में 3-3, नागौर में 2, बारां, बीकानेर, दौसा, जालौर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं इस बीच 15 जिलों अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, पाली और प्रतापगढ़ में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 152 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक इस बीमारी से 12 लाख 72 हजार 185 लोग स्वस्थ हो चुके है। राज्य में रिकवरी रेट 99.19 फीसदी पर बनी हुई है। वहीं एक्टिव केस भी घटकर 711 रह गए हैं। इनमें 328 मामले जयपुर जिले में हैं। जबकि बूंदी, डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। प्रदेश में बुधवार को करोना से जयपुर में एक संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9551 लोग अपनी जान गंवा चुके है।

- **प्रदेश के 15 जिलों में कोई नया संक्रमित सामने नहीं आया है।**
- **जयपुर में थोड़ी गिरावट के बाद 20 नए मरीज मिले है, हालांकि इस बीच एक संक्रमित की मौत हुई है।**

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद सं. 1081/20
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी 1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद यादव, 2. अंजू यादव पत्नि स्व. हेमेन्द्र यादव, 3. सुमित यादव पुत्र स्व. हेमेन्द्र यादव जाति यादव निवास स्थान डी-91, शिवाड एरिया, कृष्णा मार्ग, बापू नगर, जयपुर
मृतक प्रेमलता यादव की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 19.03.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम प्रेमलता यादव पत्नि हनुमान यादव जाति यादव निवासी डी-91, शिवाड एरिया, कृष्णा मार्ग, बापू नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 19 माह 03 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 5 माह 2 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण ने मृतका प्रेमलता यादव के प्रा.पत्र में वर्णित शेयर्स बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

916
2/3/22
Form No. 3 [See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/484/2020
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
Exh. No. 4926
PUNJAB NATIONAL BANK (ORIENTAL BANK OF COMMERCE)
VS
M/S HANUMAN AGRO PRODUCTS
To, (1) CGR COLLATERAL MANAGEMENT LIMITED Registered Office At - 4th Floor, K.J. City Tower, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan-302001
SUMMONS
WHEREAS, OA/484/2020 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 14.02.2022. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of Rs.8440152/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 22.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 02.03.2022.
Seal
Registrar,
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

26 हजार बच्चों ने लगवाई वैक्सीन

जयपुर। राज्य में बुधवार को 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। राजधानी में आदर्श नगर स्थित हेल्थ सेंटर के अलावा जेके लोन, कावंटिया हॉस्पिटल समेत करीब एक दर्जन सेंटर्स पर इस एजग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। सुबह सवेरे ही बच्चे अपने परिजनों के साथ तैयार होकर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान बच्चों और उनके परिजनों में वैक्सीन लगाने के प्रति क्रेज नजर आया। दिनभर चले वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बाद बुधवार शाम तक राज्य में 26 हजार 880 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इस दौरान 1193 सत्र आयोजित हुए। सीएमएचओ डॉ. नरोत्तम शर्मा ने आदर्श नगर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत की। यहां सुबह छोटे बच्चे अपने माता-पिता और परिवार के साथ वैक्सीन लगाने पहुंचे।

नर्सिंग भर्ती के खाली पदों को नहीं भरने पर अदालत ने मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने जीएनएम भर्ती-2013 के खाली पदों को नहीं भरने पर चिकित्सा निदेशक और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पीयूष व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2013 की नर्सिंग भर्ती में जीएनएम के 15,773 पद थे। इन पदों में से 11,259 पदों पर ही भर्ती हुई और 4,514 पद खाली रह गए। राज्य सरकार ने इन पदों को एनआरएचएम का बताते हुए नहीं भरा, लेकिन 2018 में नई विज्ञप्ति के जरिए 6035 पदों पर वापस भर्ती निकाल दी और इन पदों पर जनवरी 2020 में भर्तियां कर ली गई। राज्य सरकार की इस कार्रवाई को प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि नर्सिंग भर्ती 2013 के खाली पदों को अभी तक नहीं भरा है। राज्य सरकार को सभी 15,773 पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए थी।

'नाम शांति लेकिन सरकार के तीन मंत्रियों को किया अशांत'

- **यूडीएच विभाग की बहस में विधायक रामलाल शर्मा ने कहा ''मंत्रियों का ऐसा इलाज जनता रखेगी याद''**
- **शर्मा ने कैबिनेट बैठक में धारीवाल की तीन मंत्रियों से हुई नोकझोंक की तरफ इशारा करते हुए यह कहा**

जयपुर, (वि.सं.)। यूडीएच की अनुदान मांगों पर बोलते हुए विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि मंत्रीजी आपका नाम शांति है, लेकिन सरकार के तीन मंत्रियों को आपने अशांत करने का काम किया। मैं तो आपका कायल हो गया, क्योंकि आपने इनका ऐसा इलाज किया कि जनता भी याद रखेगी। शर्मा ने कैबिनेट बैठक में धारीवाल की तीन मंत्रियों से हुई नोंकझोंक की तरफ इशारा करते हुए यह बात कही।

शर्मा ने कहा कि ये तीनों मंत्री जयपुर से आते हैं और इनमें से एक तो खुद को दबंग मंत्री बताते हैं। ये शक्तिमान मंत्री हर मुद्दों पर सरकार के पक्ष में मोर्चा भी लेते हैं, लेकिन आपने इनका इलाज कर दिया, जिससे मैं तो आपका कायल हो गया। अनुदान मांगों पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि आपके कार्यकाल में राजनीतिक द्वेष से काम किए जा रहे हैं और अलवर नगर परिषद किसका उदाहरण है। जहां आपकी पार्टी के सभापति को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया तो उसे पद छोड़ना पड़ा। लेकिन उपसभापति भाजपा का था, तो उसे झूठे मामले में फंसाकर सभापति का पद नहीं लेने दिया। स्थिति यह रही कि जब उपसभापति कोर्ट से इस मामले में स्टे ले आया, तब भी आज तक आपने उसे सभापति का चार्ज नहीं दिया। शर्मा ने कहा मंत्रीजी आप शांति और सौहार्द की मिसाल हैं। ऐसा करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें व उपसभापति को सभापति का चार्ज दें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम Bhawana Sharma पुत्री श्री घनश्याम शर्मा से बदलकर Bhawna Sharma रख लिया है भविष्य में मुझे Bhawna Sharma के नाम से जाना पहचाना जावें। पता- 41-बी, चन्द्रशेखर कॉलोनी बदनपुरा जयपुर

मैंने मेरा नाम नीलू सिंह से बदलकर तनवी रख लिया है पुत्री रणवीर सिंह भविष्य में मुझे तनवी के नाम से जाना जावे पता एन-71 हनुमान वाटिका द्वितीय टैगोर नगर जयपुर राजस्थान 302021

I have Changed my Name from Vijay Kumar Shrivastava to Vijoy Kumar Shrivastava, Therefore I will be known or Distinguished in Public by New Name of Vijoy Kumar Shrivastava Add-138-A, Nandpuri Malviya Nagar, Jaipur, Jaipur City

I have changed my name Ravi Verma to Ravi Shekhar Verma for all purposes R/o-A-92 Rajeev nagar Madan Bari Naya Khera Vidhyadhar Nagar(Raj.)

OFFICE OF THE GRAM PANCHAYAT MURALIPURA P.S. JOBNER
S.NO. GP MURALIPURA/NIVIDA/LEKHA/2021-22/143
DATE 11.03.2022
INVITATION OF TENDER YEAR 2021-22
On behalf of Governor of Rajasthan invites open tender from eligible contractor for **CONSTRUCTION MATERIAL SUPPLY IN VARIOUS SCHEMENT AT GP MURALIPURA**
Estimated total cost of works Rs. 9.90 Lacs.
Details available on www.sppp.rajasthan.gov.in
UBIN NO. ZJP2122GSOB01841
Village development officer
GP MURALIPURA

फागोत्सव कार्यक्रम में झूमे श्रद्धालु

जयपुर (कासं)। श्री दक्षिणेश्वर जय गणेश नवग्रह शिव हनुमान मन्दिर बनीपार्क में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गणेश वन्दम भक्त मण्डल की ओर से सभी सदस्यों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। मंडल के सदस्यों ने अतिथियों को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। ज्ञात रहे कि गणेश वन्दम मंडल की ओर से पिछले कुछ वर्षों से लगातार फागोत्सव आयोजित किया जा रहा है।

श्याम बाबा के साथ खेली फूलों की होली

जयपुर। अंजली एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आर योगा सेन्टर की ओर से तत्कालेश्वर महादेव मंदिर, गोविन्द नगर पूर्व में फागोत्सव व होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। डॉ. अंजली स्वामी ने बताया कि राधा कृष्ण की रास लीला, कृष्ण सुदामा का मिलाप और खाटू श्यामजी की झांकी को गीतों के साथ दर्शाया गया। इस मौके पर पार्षद कुसुम यादव, मनोज भारद्वाज, स्नेह लता, सुरेन्द्र सिंह रॉबिन भी मौजूद थे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

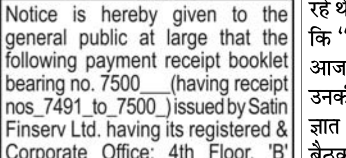

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

NOTICE
Notice is hereby given to the general public at large that the following payment receipt booklet bearing no. 7500___(having receipt nos_7491_to_7500_) issued by Satin Finserv Ltd. having its registered & Corporate Office: 4th Floor, 'B' Wing, Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016 India__ and one of its branch at_Jaipur_is lost from our custody from our branch. General public is hereby cautioned not to deposit any amount against the above mentioned receipts and if done Satin Finserv Ltd shall not be responsible for the same.

'कोटा के विकास से कुछ लोगों के पेट में दर्द है'

जयपुर (विसं)। कैबिनेट की बैठक में तीन मंत्रियों से टकराव के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश के बाकी शहरों के विकास का पैसा काटकर सब कुछ कोटा ले जाने के आरोपों का बुधवार को सदन में जवाब दिया।

शहरी विकास की अनुदान मांगों के जवाब के दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने चुटकी लेते हुए धारीवाल से कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास कोटा के बारे में कुछ कह रहे थे। जिस पर धारीवाल ने जवाब दिया कि ''खाचरियावास कह रहे थे, लेकिन आज वो यहां है नहीं, यहां होते तो मैं उनकी भी गलतफहमी दूर कर देता।'' ज्ञात रहे कि शनिवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्री धारीवाल साथी मंत्रियों लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह और परसादीलाल मीणा से भिड़ गए थे। खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा था मंत्री धारीवाल बाकी शहरों का पैसा काटकर सब कुछ कोटा ले जा रहे है।

धारीवाल ने बिना किसी का नाम लिये पलटवार करते हुए कहा कि ''कुछ लोगों को कोटा का विकास पच नहीं रहा है। कोटा में 3673 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं, 550 करोड़ राज्य सरकार से मिला, बाकी जितना भी पैसा है वह वह यूआईटी का इकट्ठा किया हुआ है। यह भ्रांति चारों तरफ से फैल रही है, क्योंकि जिन लोगों को कोटा का विकास समझ में नहीं आ रहा या कोटा का विकास पच नहीं रहा, उनके पेट में कहीं न कहीं दर्द है। उस दर्द को मिटाने के लिए स्पीकर सदन की एक कमेटी बना दीजिए, यह जांच करवा लें कि कोटा में जो पैसा खर्च हो रहा है वह कहां से आ रहा है? जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि आप चूरू के 40 करोड़ रुपए कोटा कैसे ले गए? इस पर स्पीकर ने कहा- आपने ही दिलवाए हैं, आपके नॉलेज में है। धारीवाल ने जब स्पीकर से कमेटी बनाने का आग्रह किया तो स्पीकर जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ''मंत्रीजी! मदन दिलावर को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दें क्या? स्पीकर के इस कमेंट पर सदन में सब हंसने लगे। दरअसल, बीजेपी विधायक मदन दिलावर कोटा की राजनीति में धारीवाल के कट्टर विरोधी है।

पत्नी ने ममेरे भाई और उसके दोस्तों से करवाई थी पति की हत्या

जयपुर (कासं)। घाटगेट कब्रिस्तान में 4 मार्च को हुई युवक की हत्या की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। युवक की हत्या उसकी पत्नी के आशिक ने ही की थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने अमृतपुरी घाटगेट निवासी मृतक की पत्नी गुलनाज (22), गाजियाबाद निवासी मोहम्मद इमरान उर्फ अज्जू, सहारनपुर निवासी धीरज कुमार उर्फ छुट्टन और लुधियाना निवासी नीतेश कुमार को गिरफ्तार किया है। एसीपी आदर्श नगर हवा सिंह ने बताया कि 4 मार्च की शाम को कब्रिस्तान में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला था। उसके सिर पर पत्थर से वार किए गए थे। मृतक की पहचान अमृतपुरी निवासी मोहम्मद शाहरूख के रूप में हुई। मृतक के परिजन से पूछताछ की, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। उसकी पत्नी गुलनाज अत्यधिक दु:ख जता रही थी। उसके हावभाव पर संदेह हुआ। तभी पता चला कि उसने मोबाइल फोन की एक सिम तोड़कर फेंकी है और अपना वॉटसऐप अकाउंट डिलीट किया है। पुलिस ने मृतक शाहरूख की पत्नी के फोन की कॉल डिटेल खंगाली तो वारदात का खुलासा हो सका।

तनिष्क वर्ल्ड स्कूल के संचालक ने 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया

जयपुर (कासं)। मुहाना इलाके में जगन्नाथपुरा की तनिष्क वर्ल्ड स्कूल के संचालक ने दसवीं की छात्रा के साथ कार्यालय में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो तुरंत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

एसीपी हरी शंकर ने बताया गिरफ्तार आरोपित पुरुषोत्तम इलाके स्थित जगन्नाथपुरा का रहने वाला है। आरोपित का इलाके में एक स्कूल संचालित है। घटनाक्रम के मुताबिक करीब दो माह पहले 15 वर्षीया दसवीं कक्षा की छात्रा को आरोपी ने अपने कार्यालय में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में किसी को बताने पर पीडिता को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीडिता गुमसुम रहने लगी। कुछ दिन पहले उसकी मां को गर्भवती होने का पता चला तो उसने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्र:DHC-II/ 3428 **जाहिर आम सूचना** दि. 16.03.22
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 31/44/03, मानसरोवर, जयपुर,क्षेत्रफल 41.060 वर्ग मीटर/व.गज. का आवंटन श्री अमरनाथ बाजपई पुत्र श्री बृजेन्द्र नाथ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 214 दिनांक 06.11.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 11.01.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 12.06.2013 द्वारा श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री धनीराम शर्मा के नाम नियमिती करण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक,जयपुर में दिनांक 26.07.2013 को करवाया गया। श्री प्रदीप शर्मा की मृत्यु दिनांक 23.10.2019 को हो जाने के कारण इनके पत्नी/पुत्रियां श्रीमती इन्दिरा शर्मा पत्नी स्व. श्री प्रदीप शर्मा, श्रीमती रूची शर्मा पत्नी श्री दीपक कुमार शर्मा एवं श्रीमती साक्षी शर्मा पुत्री स्व. श्री प्रदीप शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती इन्दिरा शर्मा पत्नी स्व. श्री प्रदीप शर्मा, श्रीमती रूची शर्मा पत्नी श्री दीपक कुमार शर्मा एवं श्रीमती साक्षी शर्मा पुत्री स्व. प्रदीप शर्मा के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है अन्तः उक्त आवास के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होतो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती इंदिरा शर्मा, श्रीमती रूची शर्मा एवं श्रीमती साक्षी शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्र:DHC-II/ 3445 **जाहिर आम सूचना** दि. 16.03.22
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 31/63/04, मानसरोवर, जयपुर,क्षेत्रफल 41.110 वर्ग मीटर/व.गज. का आवंटन श्री छोटू राम सैनी पुत्र श्री हरदेव प्रसाद को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1547 दिनांक 22.12.1986 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 21.01.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1140 दिनांक 08.06.2013 द्वारा प्रदीप शर्मा पुत्र श्री धनी राम शर्मा के नाम नियमिती करण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर में दिनांक 29.07.2013 को करवाया गया। श्री प्रदीप शर्मा की मृत्यु दिनांक 23.10.2019 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी/पुत्रियां श्रीमती इन्दिरा शर्मा पत्नी स्व. श्री प्रदीप शर्मा, श्रीमती रूची शर्मा पत्नी श्री दीपक कुमार शर्मा एवं श्रीमती साक्षी शर्मा पुत्री स्व. श्री प्रदीप शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती इन्दिरा शर्मा पत्नी स्व. श्री प्रदीप शर्मा, श्रीमती रूची शर्मा पत्नी श्री दीपक कुमार शर्मा एवं श्रीमती साक्षी शर्मा पुत्री स्व. श्री प्रदीप शर्मा के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है अन्तः उक्त आवास के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होतो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती इंदिरा शर्मा, श्रीमती रूची शर्मा एवं श्रीमती साक्षी शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत द्वितीय, जयपुर

कार्यालय नगर पालिका रीगंस जिला-सीकर राज.
Email: ringas.jaipur@gmail.com
क्रमांक- न.पा.रीगस/2021-22/3777 दिनांक-16.3.22
आपत्ति आमंत्रण सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका कार्यालय में आवासीय एवं व्यवसायिक कृषि भूमि नियमन हेतु निम्न आवेदन प्राप्त हुये है-

क्र.सं.	नाम आवेदन	भूमि खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
01	थापा देवी पत्नी केदारमल अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 26 रींगस	4485	148 वर्गगज	आवासीय

अतः यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर-भीतर कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि 07 दिवस पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा कार्यालय द्वारा आवेदकों के आवेदन अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।
(सीताराम कुमावत)
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रींगस

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल सेक्टर-4, जवाहरनगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004
ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड: 18184
फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989
परिशिष्ट-IV-क {नियम 8(6), 9(1) का परन्तुक देखें}
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6), 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति- ऋणी/जमानती को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का वास्तविक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को **''जहां है'', ''जैसी है'', ''जो कुछ भी है'' तथा ''दायित्वरहित''** के आधार पर **दिनांक 05.04.2022** को विक्रय किया जायेगा। प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि **रू. 20,36,061.11 अक्षरे बीस लाख छत्तीस हजार इकसठ रुपये व ग्यारह पैसे मात्र (दिनांक 18.12.2019 को बकाया दिनांक 18.02.2019 तक का ब्याज शामिल करते हुए)** तथा इसके आगे का ब्याज एवं अन्य देय खर्चे अतिरिक्त। जो कि **मैसर्स-संजीव टेक्सटाईल, प्रोपराईटर श्री गुलाब चन्द संचेती-ऋणी एवं श्री अशोक कुमार संचेती पुत्र श्री गुलाब चन्द संचेती** - जमानती से संबंधित है। उक्त खाते में आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि निम्नलिखित है। अग्रिम राशि बैंक/एमएसटीसी के वेबसाइट पर दी गई प्रक्रिया अनुसार **दिनांक 04.04.2022** से पूर्व तक कराई जा सकती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण	1. आरक्षित मूल्य 2. धरोहर राशि
श्री अशोक कुमार संचेती पुत्र स्व. श्री गुलाब चंद संचेती के नाम दुकान नं. 307, द्वितीय तल, लाल गेट स्कीम, यूआईटी कॉम्पलेक्स, होप सर्किल के पास, अलवर, जिला-अलवर (राजस्थान) स्थित भूमि व निर्मित भवन, जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 13.45 वर्ग मीटर हैं। **जिसकी सीमाएं निम्न है-** पूर्व में: दुकान नं. 308, पश्चिम में: दुकान नं. 302, उत्तर में: 7-9'' चौड़ा गलीयारा, दक्षिण में: रोड व भूतल	1. रू. 7.02 लाख 2. रू.0.72 लाख

अन्य भार - ज्ञात नहीं।
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर (राज.) प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others, https:// ibapi.in/sale_Info_home.aspx व https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ index.jsp देखें।
तारीख: 16.03.2022
स्थान: जयपुर (राज.)
हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक